न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2021 (डूंगरपुर डिक्री)

सना पिता मरता मीणा, निवासी तलईया (तलैया), फला घाटीया, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. हवजी पिता कला मीणा, निवासी तलईया (तलैया), फला घाटीया, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
का.अ.–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा दिनांक
10.01.2019 प्रकरण संख्या 35/2014

---/---

उपस्थित :– 1– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

---::---

निर्णय दिनांक 21–08–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तलाईया (तलैया) में आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि मगरी बिलानाम संवत् 2026 से 2029 में अंकित है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2034 में वादी हवजी का कब्जा दर्ज है। इसी प्रकार अन्य खसरा गिरदावरियों में भी वादी का कब्जा दर्ज है। वादी उक्त आराजी के 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर आज भी काबिज चला आ रहा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने चोरी छिपे उक्त आराजी में से 3 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 23–11–1977 को करवा लिया, जिसका उप खसरा नंबर 3036/16 बना, परन्तु इस पर कब्जा प्रतिवादी का कभी नहीं रहा, बल्कि आवंटन के पूर्व से ही वादी का ही चला आ रहा है। वादी को कभी भी बेदखल नहीं किया गया। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:04 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर वादी को विवादित आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में से 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि जिस पर वाद का पुराना कब्जा है, का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–01–2019 से वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा से बने बटा नंबर 3036/16 रकबा 3 बीघा का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–04–2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता शैलेष भण्डारी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता श्री धनपाल खराडी को नियुक्त कर रखा था, किन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। बाद में दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करने पर उन्हें प्रकरण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:04 IST
Reason: SelfAttested

एकपक्षीय कार्यवाही कर देने से वह न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। बाद में दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करने पर उन्हें प्रकरण की जानकारी हुई। वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपना कब्जा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर बताया है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादी को केवल 3 बीघा भूमि ही आवंटित करना बताया है। वादी के अभिवचनों से यह स्पष्ट नहीं है कि आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा के किस स्थान पर 4 बीघा 8 बिस्वा पर उसका कब्जा है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत आवंटित 3 बीघा रकबे उसके आधार पर जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी को विलोकर कर उसकी खातेदारी रेस्पोन्डेन्ट/वादी को देने का आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2016 (2) DNJ (Raj.) Page 473, 2013 (4) DNJ (Raj.) Page 1474, 2020(1) DNJ (Raj.) Page 265, 2014 (3) DNJ (Raj.) Page 864, 2017 DNJ (SC) Page 928, 2020 (1) RRT Page 524 प्रस्तुत की।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि आवंटित 3 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा। कब्जा अपीलान्ट का ही शुरू से चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2008 (2) RRT Page 806, RRD 1992 Page 667, RRD 1992 Page 571 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया। राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा बिलानाम सरकार दर्ज है एवं प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के अनुसार इस आराजी के 4 बीघा 8 बिस्वा पर कब्जा वादी/ रेस्पोन्डेन्ट का दर्ज है। वहीं प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में 3 बीघा भूमि का आवंटन अपीलान्ट/प्रतिवादी को वर्ष 1977 में किया गया, जिसका बटा नंबर 3036/[illegible] 3 बीघा भूमि अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है, किन्तु प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि इस आवंटित 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:04 IST
Reason: SelfAttested

बीघा भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का नहीं है। आवंटन पश्चात् अथवा आवंटन पूर्व अपीलान्ट के कब्जे की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त बिलानाम आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में से अपीलान्ट/प्रतिवादी को आवंटित 3 बिस्वा भूमि पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट का कब्जा होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो वादी को 3 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया गया है, वह नवीनतम न्यायिक नजीरों के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में खातेदारी देय नहीं हैं। जहां तक अपीलान्ट/प्रतिवादी को 3 बीघा भूमि आवंटित होकर उसके खातेदारी में दर्ज होने का प्रश्न है, उसके पक्ष में उक्त 3 बीघा भूमि का आवंटन किस आधार पर किया गया है, इस बाबत् अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा न की कब्जे बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जबकि इसके विपरीत प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों से कब्जा वादी/रेस्पोन्डेन्ट का साबित होता है। ऐसी स्थिति में बिना कब्जे के अपीलान्ट के पक्ष में जो आवंटन किया गया है एवं तत्पश्चात् बिना कब्जे की जांच किये उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं, वह न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरों दोनों अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–01–2019 में आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में वादी/रेस्पोन्डेन्ट को 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने का जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया हैं, उसे निरस्त करते हुए उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिलिपि पालनार्थ तहसीलदार बिछीवाड़ा को दी जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:04 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सना पिता मरता मीणा, निवासी तलईया (तलैया) फला घाटीया, तह0 बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर

बनाम

हवजी पिता कला मीणा, नि. तलईया (तलैया) फला घाटीया, त. बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं॰......06/2021...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...... .....बिछीवाड़ा........... मुकाम................मुवर्खे.............10..............माह..............01............2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........21....माह........08....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी........श्री लक्ष्मीलाल जैन......मिनजानिब अपीलान्ट व..........श्री शैलेष भण्डारी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 10–01–2019 में आराजी नंबर 16 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा में वादी/रेस्पोन्डेन्ट को 3 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करने का जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया हैं, उसे निरस्त करते हुए उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिलिपि पालनार्थ तहसीलदार बिछीवाड़ा को दी जावे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......21.......माह.......08..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:54:04 IST
Reason: SelfAttested